Title: Need to amend Schedule −1 of Environmental Impact Assessment (EIA) Notification in order to incorporate new capital projects' into it and direct the Government of Chhatisgarh to stop land-acquistion.

श्री सोहन पोटाई (कांकेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अति महत्व के विाय को शून्य काल में सदन में उठाना चाहता हूं। 1999 में भारत सरकार ने वृहद ि वकास योजनाओं को निर्माण के पूर्व स्थल चयन आदि में गलती न हो, इसके लिए उनके पर्यावरण प्रभाव अध्ययन व लोक सुनवाई को अनिवार्य कर दिया गया। इस अध्ययन में प्रमुख कृाि भूमि के उपयोग में रोक विकास योजना हेतु जल की आवश्यकता का ऐसा स्रोत, जिससे अन्य पूर्व के उपयोग प्रभावित न हों, जैसे प्रमुख पैमाने अध्ययन किये जाते हैं। साथ ही इन विकास योजनाओं से बढ़ने वाला प्रदूाण जनदबाव यातायातिक दबाव आदि भी इस अध्ययन के पैमाने हैं।

केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (ई.आर.ए.) अधिसूचना की अनुसूची-1 में 29 गतिविधियों को शामिल किया गया है। इनमें सीमेण्ट प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र, इस्ताप संयंत्र जैसी प्रदूाणकारी औद्योगिक गतिविधियों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राजधानी प्रोजैक्ट के लिए जो 61 गांवों में अधिसूचना प्रकाशित हुई है, उसमें 26 गांवों के प्रभावित होने व नौ गांवों को पूर्ण रूप से विस्थापित किये जाने की योजना है। ई.आई.ए. अधिसूचना जारी करते समय 1994 में नये राज्य गठन या राजधानी निर्माण का ध्यान नहीं रखा गया है।

वैसे ही एक हजार व्यक्तियों से अधिक प्रभावित होने वाली भूमि अधिग्रहण पर पुनर्वास योजना पर्यावरण के अधीन तैयार करना आवश्यक है। परंतु मुख्य रेल लाइन ि वहिन क्षेत्र में जहां 2020 तक नई राजधानी की पांच-सात लाख जनसंख्या का निवास संभावित है, मेरा केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन है कि तुरंत ई.आर.ए. की अनुसूची एक में संशोधन करके उसमें नई राजधानी परियोजना का समावेश करना चाहिए तथा छत्तीसगढ़ शासन को भू अधिग्रहण कार्यवाही रोकने के निर्देश जारी किए जाने चाहिए।